ज़कात के माल से पूंजी नियोजन

इस अहम मसअले पर 13 वें फ़िक़्ही सेमिनार में विचार किया गया। यह सेमिनार 13-16 अप्रैल 2001 (18-21 मुहर्रम 1422 हि0) को कटोली, लखनऊ में आयोजित हुआ। जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ।

1- कई देशों और क्षेत्रों में मुसलमानों की ग़रीबी और आर्थिक पिछड़ेपन और इसी के साथ दीन के बारे में जानकारी के अभाव का फ़ायदा उठा कर ईसाई, क़ादयानी और अन्य ग़ैर-मुस्लिम मिशिनरी संगठन उन्हें दीन से भटकाने में लगे हुए हैं। इस स्थिति में यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मुसलमानों की ज़कात के माल से ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। ये लोग ज़कात के माल के सबसे ज्यादा हक़दार हैं। ज़कात का माल पर्याप्त न होने की स्थिति में अलग से भी इन लोगों पर माल ख़र्च किया जाए।

2- ज़कात के हक़दार को जब ज़कात का माल दे दिया जाता है तो वह उसका मालिक हो जाता हैं और अपनी मंशा के अनुसार उसका इस्तेमाल करने का हक़ रखता हैं। इस लिए ज़कात का माल लेने वाले अगर व्यक्गित रूप से या मिलजुल कर सामूहिक रूप से ज़कात के माल को कारोबार में लगाते हैं ताकि उन्हें आगे भी इसका फ़ायदा मिलता रहे तो ऐसा करना जाइज़ है, और इस तरह के हक़दार को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी।

3- ज़कात देने वाले व्यक्ति या ज़कात जमा करनेवाले किसी संगठन की तरफ़ से ज़कात में निकाली गयी रक़म को यह सोच कर किसी व्यापार में लगाना कि भविष्य में इसका फ़ायदा ज़कात के हक़दारों में बांटा जाता रहे, जाइज़ नहीं। इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी।

4- किसी ग़रीब को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर उसे उसके व्यवसाय से जुडी मशीन या यन्त्र ख़रीद कर दे दिए जाएं या कोई दुकान वग़ैरह उसकी मिल्कियत में दे दी जाए तो ऐसा करना शरीअत के हिसाब से जायज़ है। इस तरह भी ज़कात अदा हो जाएगी।

5- अगर किसी हक़दार को मकान या दुकान बनाकर रहने या व्यापार करने के लिए तो दे दी जाए, लेकिन उसे उसका मालिक न बनाया जाए तो इस तरह ज़कात अदा न होगी।

6- ज़कात निकालने और देने में इस बात का ख़ास ख़्याल रखना ज़रूरी है कि स्थानीय हक़दार उससे वंचित न रह जाएं।

☆☆☆